संख्याः 18 /2017/360/35-1-17-6/8(6)/2016

प्रेषक,

पी0एन0 त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
राज्य नियोजन,
राज्य नियोजन संस्थान, उ0प्र0,
कालाकांकर भवन, लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः **25** अगस्त, 2017

विषयः वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लेखानुदान अवधि की वित्तीय स्वीकृतियों के क्रम में पुनरीक्षित प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष्य अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांकः 03 अगस्त, 2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्षक-''3451-सचिवालय आर्थिक सेवायें-092-अन्य कार्यालय-03-राज्य नियोजन संस्थान (नवीन प्रभाग)'' के सुसंगत इकाईयों के अन्तर्गत रू0 1580.53 लाख (रूपये पन्द्रह करोड़ अस्सी लाख तिरपन हजार मात्र) की धनराशि का पुनरीक्षित प्राविधान किया गया है। शासनादेश संख्याः 04/2017/318/35-1-17-6/8(6)/2016, दिनांक 19 अप्रैल, 2017 द्वारा लेखानुदान के सापेक्ष प्रथम पॉच माहों (अप्रैल, 2017 से अगस्त, 2017 तक) के लिये अवमुक्त की गयी धनराशि रू0 603.84 लाख को घटाते/समायोजित करते हुए अवशेष **रू0 976.69 लाख (रूपये नौ करोड़ छियत्तर लाख उनहत्तर हजार मात्र)** की धनराशि को संलग्न विवरण में उल्लिखित मदों के समक्ष अंकित धनराशि-सीमा सहित, वचनबद्ध एवं आवश्यक व्ययों को वहन करने हेतु आपके निवर्तन पर निम्न शर्तों के अधीन रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। लेखानुदान के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि के समायोजन के उपरान्त वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा रही है।

(1) विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवण्टन एवं आवण्टित /वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94 दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(2) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(3) आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण, तत्काल व्यय/भुगतान की आवश्यकता होने पर ही किया जाय।

(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 03 अगस्त, 2017 में दिये गये निर्देशों/शर्तों का अनुपालन किया जाएगा।

(5) राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान कार्यालय महालेखाकार, इलाहाबाद, उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यता कराया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन अनुभाग-1 को प्रेषित किया जायेगा

2- राज्य नियोजन संस्थान (नवीन प्रभाग) के अन्तर्गत (जनशक्ति नियोजन प्रभाग, क्षेत्रीय नियेाजन प्रभाग, दीर्घकालीन योजना प्रभाग, प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग तथा योजना मानीटरिंग एवं कास्ट मैनेजमेन्ट प्रभाग) तथा महानिदेशक कार्यालय के मध्य संलग्नक में उल्लिखित मदों में प्राविधानित कुल धनराशि का वितरण नियमानुसार आवंटित किया जाय।

3- वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-67/2016/वे0आ0-2-1447/दस-04(एम)/2016, दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 के प्रस्तर-10 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार पुनरीक्षित वेतन के अवशेष के 50 प्रतिशत का भुगतान माह अक्टूबर, 2017 से पूर्व नहीं किया जाना है। अत: मानक मद 52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय) में प्राविधानित धनराशि को अक्टूबर, 2017 से पूर्व कोषागार से आहरित नहीं किया जायेगा।

4- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या- 40 के लेखा-शीर्षक- ''3451-सचिवालय आर्थिक सेवायें-092-अन्य कार्यालय-03-राज्य नियोजन संस्थान (नवीन प्रभाग)'' के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 03 अगस्त, 2017 में दिये गये निर्देशानुसार जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त

भवदीय,

(पी0एन0 त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

सख्या- 18/2017/360(1)/35-1-17-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- (क) निदेशक, दीर्घकालीन योजना प्रभाग।
(ख) निदेशक, प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग।
(ग) निदेशक, क्षेत्रीय नियेाजन प्रभाग।
(घ) निदेशक, योजना मानीटरिंग एवं कास्ट मैनेजमेन्ट प्रभाग।
(ड) निदेशक, जनशक्ति नियोजन प्रभाग।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(देशराज सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या: 18 /2017/360/35-1-17-6/8(6)/2016
दिनांक 25 अगस्त, 2017 का संलग्नक

(लाख रूपये में)

क्र0 सं0	कोड नं0	मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु कुल स्वीकृत पुनरीक्षित बजट धनराशि	लेखानुदान के सापेक्ष प्रथम पॉच माह हेतु अवमुक्त धनराशि	लेखानुदान के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि के समायोजन के उपरान्त वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु स्वीकृत अवशेष धनराशि
1	01	वेतन	1195.69	498.20	697.49
2	02	मजदूरी	10.00	4.17	5.83
3	03	महगाई भत्ता	71.74	24.91	46.83
4	04	यात्रा व्यय	2.00	0.83	1.17
5	05	स्थानान्तरण यात्रा व्यय	1.00	0.42	0.58
6	06	अन्य भत्ते	80.00	33.33	46.67
7	08	कार्यालय व्यय	5.00	02.08	2.92
8	09	विद्युत देय	25.00	10.42	14.58
9	11	लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	3.00	1.25	1.75
10	12	कार्यालय फर्नीचर एव उपकरण	14.00	2.92	11.08
11	13	टेलीफोन पर व्यय	3.00	1.25	1.75
12	15	गाड़ियो का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	4.50	1.88	2.62
13	16	व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	10.00	0.92	9.08
14	18	प्रकाशन	15.00	6.25	8.75
15	42	अन्य व्यय	1.00	0.42	0.58
16	44	प्रशिक्षण हेतु यात्रा एव अन्य प्रासंगिक व्यय	0.50	0.21	0.29
17	45	अवकाश यात्रा व्यय	1.00	0.42	0.58
18	46	कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	46.74	2.08	44.66
19	47	कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	4.00	1.36	2.64
20	49	चिकित्सा व्यय	15.00	10.42	4.58
21	51	वर्दी व्यय	0.25	0.10	0.15
22	52	पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	72.11	--	72.11
		योग	**1580.53**	**603.84**	**976.69**

(रूपये नौ करोड़ छियत्तर लाख उनहत्तर हजार मात्र)

(देशराज सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।